बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

श्री महेन्द्र शर्मा, लिपिक, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, लकड़ीकोला, बाँका (सम्प्रति हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त) द्वारा दिनांक 15–12–2017 को समाहरणालय, मधुबनी के पत्रांक–2350/भू0अ0 दिनांक 30–11–2017 की प्राप्ति के उपरांत ससमय उपस्थापन नहीं किये जाने के फलस्वरूप भूमि मुआवजा मद में आवंटन रहने के बावजूद भी जिलाधिकारी, मधुबनी को उनके अधियाचना के आलोक में आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। भूमि मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18148/2014 महंथ देवेन्द्र प्रसाद आचार्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार को दिनांक 27–03–2018 को व्यक्तिगत उपस्थित होने का निदेश दिया गया है।

श्री शर्मा का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(ii) एवं (iii) का उल्लंघन है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–4 के नियम–9(1)(क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के तहत निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा।

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–　　पटना, दिनांकः–
3(स०)/उ०स्था०(आरोप)02/18

प्रतिलिपिः– निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए विभाग को शीघ्र सूचना देने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः–　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/बाँका/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, लकड़ीकोला, बाँका/श्री महेन्द्र शर्मा, लिपिक, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, लकड़ीकोला, बाँका सम्प्रति प्रतिनियुक्त हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 924　　पटना, दिनांकः– 06-03-18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3

सरकार के अवर सचिव

राकेश/06–03–18

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc